सिविल विविध

न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला के समक्ष

बदलू - याचिकाएं

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता 1970 की सिविल रिट संख्या 2806

9 नवंबर, 1970

पंजाबी चौकीदारा नियम (1876)-नियम 11 और 42- पंजाब कानून अधिनियम (1872 का IV)-धारा 39-A- पंजाब सामान्य खंड अधिनियम (1898 का I)-धारा 4 और 6- नियम 42 में अपने ही प्रतिनिधि के आदेशों के खिलाफ उपायुक्त के समक्ष अपील करने का प्रावधान है - क्या 1872 के अधिनियम IV की धारा 39-A को निरस्त कर दिया गया है और 1881 के अधिनियम XXIV द्वारा पुन: अधिनियमित किया गया है। स्वचालित रूप से समाप्त होता है।

अभिनिर्धारित किया कि, यह विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकारी के लिए खुला है कि वह अपने स्वयं के प्रतिनिधि के आदेश के खिलाफ प्रिंसिपल के पास अपील का प्रावधान करे। प्रधान प्राधिकारी इसे अधीनस्थ प्राधिकारी को सींपकर अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। पंजाब चौकीदारा नियम (1876) के नियम 11 और 42 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उपायुक्त के लिए नियम 11 के तहत अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना और नियम 42 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को अपने पास रखना स्वीकार्य है। इस प्रक्रिया में कुछ भी घृणित नहीं है और इसलिए उपायुक्त को उनके प्रतिनिधि के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करने वाले नियम के नियम 42 अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।

अभिनिर्धारित किया कि, पंजाब सामान्य खंड अधिनियम, 1898 की धारा 4 में कहा गया है कि जब तक कोई अलग इरादा दिखाई नहीं देता है, तब तक किसी अन्य पंजाब अधिनियम द्वारा पंजाब

अधिनियम को निरस्त करने से उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के पिछले संचालन को प्रभावित किया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पंजाब अधिनियम पूर्व अधिनियमन के किसी प्रावधान को संशोधनों के साथ या उसके बिना निरस्त करता है और पुन: अधिनियमित करता है, तो किसी अन्य अधिनियमन में या इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधान के किसी भी साधन में, जब तक कि कोई भिन्न इरादा प्रकट न हो, तब तक उस प्रावधान के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। इसलिए 1872 के पंजाब कानून अधिनियम की मूल धारा 39-ए के तहत बनाए गए नियमों को तदनुसार प्रतिस्थापित धारा 39-ए के तहत पारित माना जाएगा, जिसे 1881 के अधिनियम XXIV द्वारा फिर से अधिनियमित किया गया था और स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि सिटिओररी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 12के आदेश को रदद किया जाए। (ख) दिनांक 15 जनवरी, 1970 की अधिसूचना सं 2, जिसमें रोहतक के उपायुक्त के दिनांक 28 अपै्रल, 1969 के आदेश को बरकरार रखा गया है और आगे अनुरोध किया गया है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान लगाए गए आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए।

आर.के. याचिकाकर्ता की ओर से छोक्कर, वकील।

जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा एच.एन . मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

यू.डी. गौड़, वकील, प्रतिवादी नंबर 4 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरूला —(1) पंजाब चौकीदारा नियम, 1876 (मई, 1965 तक यथा संशोधित) के नियम 42 की सही व्याख्या और सही दायरे से संबंधित दो प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और

- 227 के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में इस याचिका में निर्णय की मांग करते हैं -
 - 2. बदल् याचिकाकर्ता, गांव चुलकाना, तहसील सोनीपत, जिला रोहतक के चौकीदार ने श्री चंद, प्रतिवादी नंबर 4, जो उस गांव के दफ्फदार थे, के खिलाफ शिकायत की। सोनीपत के उपविभागीय अधिकारी (सिविल) ने शिकायत की जांच की और 6 नवंबर, 1968 के अपने आदेश (अनुबंध 'ए') द्वारा कहा कि श्री चंद अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें चेतावनी के साथ छोड़ दिया। श्री चंद को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, हालांकि उन्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। उपमंडल अधिकारी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने रोहतक के उपायुक्त के समक्ष अपील की। उस अपील को उपायुक्त (जो जिले के कलेक्टर भी थे) के 28 अप्रैल, 1969 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी श्री चंद को दफादर के पद पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, उन्होंने उप-विभागीय अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और श्री चंद को दफ्फदर के पद से बर्खास्त कर दिया। मुझे बताया गया है कि बाद के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को श्री चंद के स्थान पर दफ्फदार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह स्पष्ट करने के लिए उल्लेख किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता का इस मुकदमे में कुछ वास्तविक हित था, हालांकि, अन्यथा, वह अपनी याचिका को बनाए रखने का हकदार होता क्योंकि श्री चंद के खिलाफ कार्यवाही उसके द्वारा श्रूक की गई थी।
 - 3. श्री चंद प्रतिवादी, जो उपायुक्त के आदेश से स्वाभाविक रूप से व्यथित थे, ने आयुक्त, अंबाला डिवीजन, श्री आर.आई.एन.आहूजा, टी-एचई आयुक्त को अपील दायर की, ने 15 जनवरी, 1970 (अनुबंध 'सी') के अपने आदेश द्वारा अपील की अनुमित दी और उपायुक्त के आदेश को इस आधार पर रदद कर दिया कि उप-विभागीय अधिकारी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना आदेश (अनुबंध 'ए') पारित किया था। आयुक्त ने चौकीदरा नियमावली के नियम 11 के तहत और उन शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के बाद, उपायुक्त फिर से अपील में स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था- केवल इसी आधार पर, श्री चंद को बर्खास्त करने के उपायुक्त

के आदेश को अवैध और शून्य मानते हुए रद्द कर दिया गया था और उप-विभागीय अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया गया था। इस याचिका में आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार के साथ-साथ श्री चंद ने भी याचिका का विरोध किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि (1) आयुक्त के पास आक्षेपित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और (2) उपायुक्त का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र में था और इसलिए, आयुक्त का आदेश कानून की त्रुटि से ग्रस्त है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नियम 42 की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। पंजाब विधि अधिनियम, 1872 की धारा 39-क के अंतर्गत बनाए गए चौकीदारा नियमावली के नियम 11 और 42 को इस स्तर पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है -

"11. उपायुक्त, या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत अधिकारी, किसी भी गांव के चौकीदार या दफ्फदार को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा या शारीरिक अक्षमता के लिए बर्खास्त कर सकता है।

* * * * *

* * * * *

42. गांव के चौकीदारों की संख्या तय करने, उनके पारिश्रमिक के तरीके और इसे लगाने के संबंध में उपायुक्त के सभी आदेश, आयुक्त द्वारा नियंत्रण, संशोधन और परिवर्तन के अधीन होंगे, जिसके लिए वह अधीनस्थ है, लेकिन एक प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा सभी आदेश उपायुक्त या ऐसे प्राधिकारी के पास अपील योग्य होंगे जो उपायुक्त निर्दिष्ट करे।

राज्य के विद्वान वकील आयुक्त के आक्षेपित आदेश का बचाव करने में सक्षम नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील श्री यू.डी. गौड़, जिन्होंने इस मामले में बड़ी क्षमता के साथ बहस की है, ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आयुक्त के पास उपायुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि नियम 42 के शुरुआती भाग द्वारा आयुक्त में निहित सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है। मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करना चाहिए क्योंकि केवल आयुक्त के आदेश को

रद्द करने का परिणाम उपायुक्त के आदेश को बहाल करना होगा जो उनके द्वारा बिना किए पारित किया गया था; ऐसा करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र। श्री गौर ने दूसरी दलील दी है कि नियम 42 का दूसरा भाग, जो उपायुक्त को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, अमान्य और अधिकार से बाहर है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक नियम की वैधता पर श्री गौर द्वारा सवाल उठाया गया था, इसलिए मैंने हरियाणा के महाधिवक्ता को याचिका का नोटिस दिया, जिन्होंने नोटिस के जवाब में आज सुनवाई की है।

- 4. अपील का अधिकार तब तक मौजूद नहीं है जब तक कि यह किसी क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि उपायुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने के मामले में आयुक्त का अधिकार क्षेत्र नियम 42 के पहले भाग तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है कि आयुक्त केवल उपायुक्त के ऐसे आदेशों को संशोधित या बदल सकता है जो चौकीदारों की संख्या तय करने, गांव के चौकीदारों के पारिश्रमिक के तरीके या उसी की लेवी से संबंधित हैं। पंजाब चौकीदारा नियमों के तहत उपायुक्त (या उनके प्रतिनिधि) द्वारा पारित किसी भी अन्य प्रकार के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए आयुक्त को कोई पुनरीक्षण या अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि उपायुक्त का आदेश (अनुबंध 'बी') न तो गांव के चौकीदारों की संख्या तय करने से संबंधित है और न ही पारिश्रमिक के तरीके से और न ही इसे लगाने के मामले से। इसलिए, आयुक्त का आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उस छोटे से आधार पर रदद किया जा सकता है।
- 5. बिमल चंद बनाम अध्यक्ष, जयगंज अजीमगंज नगर पालिका और एक अन्य¹, श्री गौर के फैसले पर भरोसा करते हुए, सिन्हा के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत विवेकाधीन है और उस अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र न्यायसंगत है, इसलिए मुझे विवेक का प्रयोग नहीं

¹ ए.आई.आर. 1954 केल. 285.

करना चाहिए ताकि एक ऐसे आदेश को रदद किया जा सके जो गैर-जरूरी है। यदि इसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र के बिना एक और आदेश को प्नर्जीवित किया जाएगा। श्री गौर ने कहा कि हालांकि उनके म्वक्किल के लिए उपाय्क्त के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि वह इसे आयुक्त द्वारा रद्द करने में सफल रहे थे, लेकिन अधिकार क्षेत्र के बिना दूसरे आदेश द्वारा रद्द किए गए अधिकार क्षेत्र के बिना एक आदेश द्वारा सही कानूनी स्थिति तक पहुंचा गया था। इस आधार पर उन्होंने प्रस्त्त किया कि उच्च न्यायालय को इस तरह की कार्रवाई के समर्थन में अपने विवेक का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें उपायुक्त द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित आदेश को बरकरार रखने की मांग की गई थी। मैं श्री गौर द्वारा प्रचारित कानून के प्रस्ताव से असहमत नहीं होता, अगर मैंने पाया होता कि उपायुक्त का आदेश वास्तव में इस बात के बिना था कि नियम 42 में होने वाले "सभी आदेश" शब्द का दायरा अधिकार क्षेत्र है। मेरे समक्ष उपस्थित सभी विद्वान वकीलों ने स्वीकार किया कि वे उपाय्क्त के आदेशों तक ही सीमित नहीं हैं, जिन्हें आयुक्त द्वारा संशोधित किया जाता है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, <u>इसमें कोई संदेह नहीं है कि</u> नियम 42 के दूसरे भाग की सीधी भाषा में, जो सभी व्यावहारिक उददेश्यों के लिए एक अलग स्व-निहित नियम है, उपाय्क्त को उनके प्रतिनिधि, उप-मंडल के आदेश के खिलाफ एक अपील की गई थी। अधिकारी (सिविल) आयुक्त द्वारा यह पाया गया है, और अन्यथा विवादित नहीं है कि नियम 11 के तहत मूल शक्ति उपायुक्त में निहित है और यह केवल इसलिए था क्योंकि उपायुक्त ने उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) को उस संबंध में अधिकृत किया था कि आदेश अनुलग्नक 'ए' अंतिम उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था। इसका मतलब है कि उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) उपायुक्त द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहे थे। नियम 42 की सरल भाषा के अन्सार, इसलिए, उपाय्क्त के पास उप-विभागीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई अपील को सुनने और तय करने का अधिकार था।

6. उपर्य्क्त निष्कर्षों के प्रभाव से बचने के लिए श्री गौर ने तर्क दिया कि नियम 42 का प्रासंगिक

भाग क्योंकि यह अपने स्वयं के प्रतिनिधि के आदेश के खिलाफ उपाय्क्त के पास अपील करने का प्रावधान करता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने रूप चंद बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में स्प्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। रूप चंद के मामले में स्प्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप के समक्ष निर्णय के लिए जो प्रश्न आया था, वह यह था कि क्या ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का पंजाब अधिनियम 50) की धारा 42 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उस अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत पारित अपने प्रतिनिधि के आदेश को संशोधित कर सकती है या नहीं। राज्य सरकार उस धारा की उपधारा 3 के तहत पारित निपटान अधिकारी (समेकन) के किसी आदेश के खिलाफ अपील की स्नवाई करेगी। समेकन अधिनियम की धारा 41(1) राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, उस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां या कार्य अपने किसी अधिकारी को नाम या विवरण दवारा प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 41 की उप-धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत अपने कार्यों और शक्तियों को चकबंदी के सहायक निदेशक को प्रत्यायोजित किया था। चकबंदी अधिनियम की धारा 42 (जैसा कि संबंधित समय में क़ानून की प्स्तक में लिखा गया था) ने राज्य सरकार को ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में ख्द को संत्ष्ट करने के उद्देश्य से चकबंदी अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी के समक्ष या तय किए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड को मंगाने और जांचने के लिए अधिकृत किया। धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चकबंदी के सहायक निदेशक द्वारा पारित आदेश को चकबंदी निदेशक द्वारा उलट दिया गया था, जिन्हें धारा 42 के तहत राज्य सरकार की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। रूप चंद, रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय से उस आदेश को रद्द करने में विफल रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस संक्षिप्त आधार पर सफल हुए कि धारा 21 (4) के तहत सहायक निदेशक का आदेश सहायक निदेशक के रूप में उनका अपना आदेश नहीं था, बल्कि

² ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1503.

राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा पारित आदेश था और ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए, उन आदेशों के दायरे में आते हैं जिनके खिलाफ धारा 42 द्वारा संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी। उनके लॉर्डशिप ने कहा कि यदि उन्होंने इसके विपरीत निर्णय लिया था, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि निदेशक का आदेश, जो अधिनियम की धारा 42 के तहत कार्यों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि था, को फिर से किसी अन्य अधिकारी दवारा संशोधित किया जाएगा, जिसे धारा 42 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। और इसके परिणामस्वरूप, इस तरह से मामले में अंतिम रूप कभी नहीं दिया जा सका। यह माना गया था कि यह केवल अधिनियम के तहत एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार में पारित एक आदेश था जो ऐसे अधिकारी के रूप में संशोधित था जो धारा 42 के तहत प्नरीक्षण योग्य था और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं था, जो आदेश सभी व्यावहारिक उददेश्यों के लिए राज्य सरकार का आदेश माना जाएगा। स्प्रीम कोर्ट के बह्मत के फैसले की ध्री धारा 42 का वाक्यांश विज्ञान था। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्त्त किया कि यदि धारा 42 में कहा गया है कि सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के तहत किसी अधिकारी दवारा पारित किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य को संत्ष्ट करने के उद्देश्य से या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित कर सकती है, जिसे धारा 21 (4) के तहत राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं", तो किसी भी मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए या उससे पहले या उससे पहले लंबित किसी भी मामले के रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की जाए। ऐसे किसी अधिकारी या प्रतिनिधि दवारा निपटाया गया और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है, स्प्रीम कोर्ट ने रूप चंद के मामले (2) में पारित आदेश को बरकरार रखा होगा। म्झे श्री छोकर के इस निवेदन में बह्त बल मिलता है। श्री गौड़ की दलील के अनुसार, विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास अपने ही प्रतिनिधि के आदेश के विरुद्ध प्राचार्य के समक्ष अपील करने का प्रावधान करने का अधिकार है। मैं रूप चंद के मामले (2) में स्प्रीम कोर्ट के फैसले से कानून के ऐसे किसी प्रस्ताव को बताने में असमर्थ हूं। वास्तव में, स्प्रीम कोर्ट ने ह्थ

बनाम क्लार्क³ मामले में क्वीन्स बेंच डिवीजन के फैसले की उक्ति को मंजूरी दे दी जिसमें विल्स, जे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल, जैसा कि आम तौर पर शब्द का उपयोग किया जाता है, का अर्थ उस व्यक्ति दवारा शक्तियों से अलग होना नहीं है, जो प्रतिनिधिमंडल को अनुदान देता है, बल्कि उन चीजों को करने के लिए एक प्राधिकरण प्रदान करने की ओर इशारा करता है जो अन्यथा उस व्यक्ति को खुद करना होगा। इसलिए, यदि यह सही है कि प्रमुख प्राधिकारी इसे अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंपकर अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता को इस संबंध में सफल होना चाहिए। नियम 11 और 42 को संयुक्त रूप से पढ़ने से मुझे लगता है कि उपायुक्त के लिए नियम 11 के तहत अपनी शक्ति एक तहसीलदार को और नियम 42 के तहत अपने कार्यों को उप-विभागीय अधिकारी को सौंपने की अनुमति होगी, यदि वह ऐसा करना चाहता है। उस स्थिति में, मामले से आगे निपटने के लिए उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस मामले में, हालांकि उन्होंने उप-विभागीय अधिकारी को नियम 11 के तहत अपने कार्यों का उपयोग करने का अधिकार दिया था, लेकिन उन्होंने नियम 42 के तहत अपीलीय प्राधिकरण को अपने पास रखा था। मैं उपाय्क्त द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ भी घृणित नहीं देख पा रहा हूं। एक नियम दूसरे नियम से परे नहीं हो सकता है। किसी नियम को रदद किया जा सकता है यदि वह क़ानून के किसी प्रावधान से बाहर है। यह किसी का मामला नहीं है कि नियम 42 का प्रासंगिक हिस्सा पंजाब कानून अधिनियम की धारा 39-ए के विपरीत है, जिसके तहत नियम बनाया गया है। इसलिए, मैं नियम 42 के दूसरे भाग में कोई अमान्यता पाने में असमर्थ हूं और इसकी शक्तियों को बरकरार रखते ह्ए, मैं मानता हूं कि उपायुक्त का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र में था।

7. श्री गौर द्वारा दिया गया एकमात्र अन्य निवेदन यह है कि मूल धारा 39-ए, जो 1875 में संशोधित पंजाब कानून अधिनियम, 1872 में मौजूद थी, को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान धारा 39-ए को पंजाब कानून (संशोधन) अधिनियम, 1881 द्वारा इसके स्थान पर

 $^{^{3}}$ एल.आर. (1890) 25 क्यू.बी.डी. 391.

फिर से अधिनियमित किया गया है, निरस्त प्रावधान के तहत बनाए गए नियम स्वचालित रूप से समाप्त हो गए हैं। यह निवेदन स्पष्ट रूप से भ्रामक है। पंजाब सामान्य खंड अधिनियम (1898 का अधिनियम 1) की धारा 4 में कहा गया है कि जब तक कोई अलग इरादा दिखाई नहीं देता है, तब तक किसी अन्य पंजाब अधिनियम द्वारा पंजाब अधिनियम का निरसन उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। निरसन अधिनियम में कोई भिन्न इरादा दिखाई नहीं देता है। धारा 6 में प्रावधान है कि जहां कोई पंजाब अधिनियम पूर्व अधिनियमन के किसी प्रावधान को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निरस्त और पुनः अधिनियमित करता है, तो किसी अन्य अधिनियमन में या इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधान के किसी भी साधन में, जब तक कि कोई भिन्न इरादा प्रकट न हो, तब तक इस प्रकार अधिनियमित किए गए प्रावधान के संदर्भ के रूप में माना जाएगा - इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। पंजाब विधि अधिनियम, 1872 की मूल धारा 39-ए के तहत बनाए गए पंजाब चौकीदारा नियम, 1876 को तदनुसार प्रतिस्थापित धारा 39-ए के तहत पारित माना जाएगा, जिसे 1881 के अधिनियम XXIV द्वारा फिर से अधिनियमित किया गया था। इसलिए, मैं श्री गौर के इस निवेदन में कोई बल खोजने में असमर्थ हूं।

8. इस मामले में मेरे सामने कोई अन्य बात नहीं रखी गई। उपायुक्त के आदेश के विफल होने के खिलाफ श्री गौर के सभी हमलों के बावजूद, यह याचिका सफल होनी चाहिए। तदनुसार, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और आयुक्त के 15 जनवरी, 1970 के आक्षेपित आदेश (अनुबंध 'सी') को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रद्द करता हूं और उपायुक्त (अनुबंध 'बी') के 28 अप्रैल, 1969 के आदेश को बरकरार रखता हूं, क्योंकि उपायुक्त के पास उस आदेश को पारित करने का अधिकार क्षेत्र था। मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी

भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> नेहा सिंह प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) पलवल, हरियाणा